

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2011—वैशाख 16, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-425-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज गोयल, आयएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 11 से 23 अप्रैल 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री मनोज गोयल की अवकाश की अवधि में श्री सेवाराम, आयएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के

साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पशुपालन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनोज गोयल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सेवाराम, पशुपालन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-632-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अनुपम राजन, आयएएस., संचालक, महिला एवं बाल विकास तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन को दिनांक 5 से 15 अप्रैल 2011 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 अप्रैल 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, महिला एवं बाल विकास तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-827-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री श्रीमन शुक्ला, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद को दिनांक 2 से 13 मई 2011 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 मई 2011 एवं 14, 15 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री श्रीमन शुक्ला की अवकाश की अवधि में श्री ए. के. बाजपेई, अपर कलेक्टर, होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री श्रीमन शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री श्रीमन शुक्ला द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. के. बाजपेई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री श्रीमन शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीमन शुक्ला, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

क्र. एफ. ए. 5-11-2011-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री आई. एस. श्रीवास्तव महोदय, उच्च न्यायालय, इन्दौर, खण्डपीठ, इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	7-3-2011 से 11-3-2011 तक.	5 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश	अवकाश के पूर्व में दिनांक 5-3-2011 से दि. 6-3-2011 तक सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
---	---------------------------	-------	----------------------------------	--

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-481-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री इकबाल सिंह बैस, आयएएस., महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को), भोपाल को दिनांक 21 से 26 मार्च 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2011

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. फा. 3(बी)1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र.-27).—राज्य शासन, श्री अतुल यादव पुत्र श्री पुरुषोत्तम यादव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर, मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 25 अगस्त 1979 है.

क्र. फा. 3(बी)1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र.-44).—राज्य शासन, श्री विजय चौहान पुत्र श्री गिरधारी लाल चौहान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर, मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 25 जुलाई 1975 है.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2011

क्र. 1691-इक्कीस-अ (स्था.).—राज्य शासन श्री जनार्दनस्वरूप दीक्षित, उप मुख्य ग्रंथपाल अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर (अटैच ग्वालियर) को मुख्य ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधानित पांच वर्ष की सेवा अवधि में शेष रही अवधि की सेवा में छूट प्रदान करते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में मुख्य ग्रंथपाल (द्वितीय श्रेणी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 9300-34800+ ग्रेड पे रु. 4200 में विधि विभाग, भोपाल में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.

“प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों, आदेशों का पालन किया गया है.”

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

फा. क्र. 17(ई)19-2010-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी वेद प्रकाश शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर की सेवाएं प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

फा. क्र. 6-1-10-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री विनोद भारद्वाज, रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल की सेवायें वापिस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपी जाती हैं तथा उनके स्थान पर श्री अखिलेश पंड्या, विशेष न्यायाधीश, अनु.जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, विदिशा को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उनके द्वारा कार्यग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

फा. क्र. 17 (ई) 81-2005-इक्कीस-ब-(एक).— राज्य शासन, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल में विधिक सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री शम्भू सिंह रघुवंशी की सेवाएं, एतद्द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 7,10,13 और 30 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुसूची

अनु- क्रमांक	सेशन न्यायाधीश/ अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“7.	सेशन न्यायाधीश, भिण्ड	भिण्ड
10.	सेशन न्यायाधीश, छतरपुर	छतरपुर
13.	सेशन न्यायाधीश, दतिया	दतिया
30.	सेशन न्यायाधीश, नीमच	नीमच.”

F. No.-1-1-88-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B(1), dated the 24th October 2009 which was

published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 6th Number, 2009 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule, for serial number 7,10,13 and 30 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

S: No.	Sessions Judges/ Additional Sessions Judges	Local area
(1)	(2)	(3)
"7.	Sessions JUDGE, Bhind	Bhind
10.	Sessions JUDGE, Chhatarpur	Chhatarpur
13.	Sessions JUDGE, Datia	Datia
30.	Sessions JUDGE, Neemuch	Neemuch."

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2011

फा. क्र. 17 (ई) 515-2008-इक्कीस-ब-(दो).—मध्यप्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 3(2) के खण्ड (जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री जे. के. जैन, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है.

F. No.-17-(E) 515-2008-XXI-B (Two).— In exercise of the power conferred by clause (j) of rule 3(2) of the Legal services Authorities, Act, 1996 the State Government in consultation with the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, hereby, nominate Shri J. K. Jain District Judge and Chairman, District Legal Services Authorities Sehore, Ex Officio Member of the Madhya Pradesh State Legal services Authorities for a period of two years with effect from the date assume charge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

फा. क्र. 1(बी)-11-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2004 द्वारा श्री मोहन प्रसाद सोनी, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, गुना को नियुक्त किया था.

श्री मोहन प्रसाद सोनी, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने तक श्री मोहन प्रसाद सोनी अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक गुना उक्त पद पर कार्य करते रहेंगे शर्त के अधीन उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 तथा उनकी नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार उन्हें एक माह का सूचना-पत्र दिया जाकर उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने अथवा एक माह की सूचना की अवधि (जो भी बाद में पूर्ण हो) के पश्चात् पद मुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2011

क्र. एफ 31-17-2010-सत्ताईस-1.—राज्य शासन एतद्वारा द्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा-2 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कालम (5) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम (3) तथा (4) में यथा विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है अर्थात् :—

स. क्र. सिंचाई प्रणाली का नाम

कार्य का कमाण्ड क्षेत्र

(1)	(2)	ग्रामों की संख्या	विस्तार (हेक्टर में)	कृषक संगठनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	फीफराड वितरण शाखा	2	224.42	
2	जुलवानिया वितरण शाखा	2	385.13	1
3	अटूट वितरण शाखा	6	681.05	
4	कालमुखी वितरण शाखा	8	138.21	1
5	नर्मदा विकास संभाग क्र. 19 भीकनगांव वितरण कक्ष क्र. 1	5	1750	1
6	नर्मदा विकास संभाग क्र. 19 भीकनगांव वितरण कक्ष क्र. 2	6	1795	1
7	नर्मदा विकास संभाग क्र. 19 भीकनगांव वितरण कक्ष क्र. 3	9	1785	1
8	नर्मदा विकास संभाग क्र. 19 भीकनगांव वितरण कक्ष क्र. 4	7	1615	1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. व्ही. सिंह, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र एफ 67-173-10-तीन-557—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत तरीचरकलां जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री संगीता विमलेश वर्मा, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगर पंचायत तरीचरकलां जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पत्र क्र. क-न.नि.-व्यय लेखा/10/406, दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री संगीता विमलेश वर्मा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री संगीता विमलेश वर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण, बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

सुश्री संगीता विमलेश वर्मा को नोटिस दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 24 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 18 मई 2010 में लेख किया कि सुश्री संगीता विमलेश वर्मा को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उनके द्वारा इस कार्यालय में आज दिनांक तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा 20 जुलाई 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 12 अगस्त 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2010 को कराई गई। सुनवाई में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुई उनके स्थान पर अभ्यर्थी के पति उपस्थित हुए। उन्होंने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया एवं सुनवाई में अवगत कराया कि श्रीमती संगीता द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2010 को स्वयं उपस्थित होकर आयोग कार्यालय में व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया। विलंब से लेखा प्रस्तुत करने का कारण ससुर एवं बच्ची का अस्वस्थ होना बताया किन्तु इस हेतु कोई प्रमाण अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री संगीता विमलेश वर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत तरीचरकलां जिला टीकमगढ़

का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र. एफ 67-173-10-तीन-558—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत तरीचरकलां जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री हुकुम पटवा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर पंचायत तरीचरकलां जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पत्र क्र. क-न.नि.-व्यय लेखा/10/406, दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त

जानकारी अनुसार श्री हुकुम पटवा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री हुकुम पटवा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री हुकुम पटवा को नोटिस दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 24 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 18 मई 2010 में लेख किया कि श्री हुकुम पटवा को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उनके द्वारा इस कार्यालय में आज दिनांक तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा 20 जुलाई 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 12 अगस्त 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2010 को कराई गई। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2010 को अभ्यावेदन, जो कि उनके पुत्र द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, के साथ मूल निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत किए गए। अभ्यावेदन के संबंध में कलेक्टर टीकमगढ़ ने अभिमत दिया कि अभ्यर्थी के पुत्र द्वारा प्रस्तुत विनयपत्र स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, तरीचरकलां ने अभिमत दिया है कि उनके कार्यालय में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के किसी अभ्यर्थी ने व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया था। विनय पत्र सत्यता के परे है एवं व्यय लेखा समय पर प्रस्तुत न करने से अमान्य किया जाना उचित होगा। व्यक्तिगत सुनवाई में भी अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री हुकुम पटवा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत तरीचरकलां जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र. एफ 67-253-10-तीन-560.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका निगम, सतना, जिला सतना के आम निर्वाचन में श्री रमेश कुमार महापौर पद के अभ्यर्थी थे। नगरपालिका निगम, सतना जिला सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 16 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 15 जनवरी 2010 तक, इनको अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. क 594/स्था. निर्वा.-न.पा.-09-10, दिनांक 26 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रमेश कुमार पिता बृजमोहन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री रमेश कुमार पिता बृजमोहन को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से दिनांक 10 मई 2010 को उनकी पत्नी को एवं पुनः दिनांक 30 अक्टूबर 2010 को स्वयं अभ्यर्थी पर तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री रमेश कुमार पिता बृजमोहन को नोटिस दिनांक 10 मई 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 25 मई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 1 जून 2010 में लेख किया कि “नोटिस तामिली की तारीख से 15 दिवस से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी कोई अभ्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है।” उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 9 फरवरी 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 8 मार्च 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र अभ्यर्थी को उनके डाक के पते पर भी पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया था। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामिली कलेक्टर, सतना द्वारा दिनांक 6 मार्च 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रमेश कुमार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका निगम, सतना, जिला सतना का महापौर या पार्षद होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र. एफ 67-253-10-तीन-561.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना के आम निर्वाचन में श्री वृन्दावन महापौर पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिक निगम, सतना जिला सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 16 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 15 जनवरी 2010 तक, इनको अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. क-594/स्था. निर्वा./न.पा.-09-10, दिनांक 26 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री वृन्दावन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री वृन्दावन को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से दिनांक 7 मई 2010 को स्वयं अभ्यर्थी पर तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री वृन्दावन को नोटिस दिनांक 7 मई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 22 मई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13 मई 2010 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभ्यर्थी ने लेख किया कि “प्राथी विकलांग होने के कारण उक्त सभी दस्तावेज अपने एक साथी को दे दिया था, वह साथी एक गरीब व अनपढ़ था जो कि निर्वाचन से संबंधित जिम्मेदारियों को नहीं समझता था वह कागज अपने घर में रखकर काम के उद्देश्य से गुजरात चला गया जिस कारण समय पर उक्त दस्तावेज व्यय रजिस्टर समय पर उपलब्ध होने के कारण तय सीमा 30 दिन के अंदर नहीं पेश कर सका.” उक्त अभ्यावेदन के संबंध में कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 1 जून 2010 में अभिमत दिया कि “.....अभ्यर्थी वृन्दावन कुशवाहा द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा समय से प्रस्तुत न कर पाने के लिये उल्लेखित कारण समाधानकारक न होने के कारण मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम 1956 की धारा 14 ग के तहत कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है.” उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 9 फरवरी 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 8 मार्च 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामिली कलेक्टर, सतना द्वारा दिनांक 6 मार्च 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री वृन्दावन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना का महापौर या पार्षद होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र. एफ 67-253-10-तीन-562.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य

है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना के आम निर्वाचन में श्री सुखदेव प्रसाद द्विवेदी महापौर पद के अभ्यर्थी थे। नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 16 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 15 जनवरी 2010 तक, इनको अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. क-594/स्था. निर्वा./न.पा./09-10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सुखदेव प्रसाद द्विवेदी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सुखदेव प्रसाद द्विवेदी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से दिनांक 7 मई 2010 को उनकी पत्नी को एवं पुनः दिनांक 30 अक्टूबर 2010 को स्वयं अभ्यर्थी पर तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री सुखदेव प्रसाद द्विवेदी को नोटिस दिनांक 7 मई 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 22 मई 2010 तक

अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 1 जून 2010 में लेख किया कि "नोटिस तामिली की तारीख से 15 दिवस से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी कोई अभ्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है।" उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 9 फरवरी 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 8 मार्च 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामिली कलेक्टर, सतना द्वारा दिनांक 5 मार्च 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सुखदेव प्रसाद द्विवेदी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना का महापौर या पार्षद होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र. एफ 67-253-10-तीन-563.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने

निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना के आम निर्वाचन में श्री सन्जू सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह महापौर पद के अभ्यर्थी थे। नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 16 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 15 जनवरी 2010 तक, इनको अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. क-594/स्था. निर्वा./न.पा./09-10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सन्जू सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सन्जू सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से दिनांक 7 मई 2010 को स्वयं अभ्यर्थी पर तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री सन्जू सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह को नोटिस दिनांक 7 मई 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 22 मई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 1 जून 2010 में लेख किया कि “नोटिस तामिली की तारीख से 15 दिवस से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी कोई अभ्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है।” उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 9 फरवरी 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 8 मार्च 2011

को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामिली कलेक्टर, सतना द्वारा दिनांक 6 मार्च 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सन्जू सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना का महापौर या पार्षद होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र एफ 67-260-10-तीन-592.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित

अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत जैतवारा, जिला सतना के आम निर्वाचन में सुश्री फूलमती डोहर अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगर पंचायत जैतवारा, जिला सतना, के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के पास दाखिल किया जाना था। किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के पत्र क्र. 594-स्था.नि/नपा.-09-10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री फूलमती डोहर द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री फूलमती डोहर को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 का जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से दिनांक 30 नवम्बर 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

सुश्री फूलमती डोहर, को नोटिस दिनांक 30 नवम्बर, 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 15 दिसम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, सतना ने अपने पत्र दिनांक 25 जनवरी 2011 में लेख किया कि “सुश्री फूलमती डोहर को आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली तत्समय में कराने के उपरांत भी उक्त अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक अपना अभ्यावेदन/निर्वाचन व्यय लेखा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।” कलेक्टर, सतना से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 18 मार्च 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, सतना द्वारा दिनांक 16 मार्च 2011 से पूर्व करा दी गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में

कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री फूलमती डोहर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत जैतवारा, जिला सतना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उड़के)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र एफ 67-260-10-तीन-593.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत जैतवारा, जिला सतना के आम निर्वाचन में सुश्री सुशीला बाई डोहर अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगर पंचायत जैतवारा जिला सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के

अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के पास दाखिल किया जाना था. किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के पत्र क्र. 594-स्था.नि/नपा.-09-10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री सुशीला बाई डोहर द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सुशीला बाई डोहर को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से दिनांक 30 नवम्बर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

कलेक्टर सतना ने दिनांक 6 मार्च 2010 को संशोधित परिशिष्ट छत्तीस प्रेषित किया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 23 जनवरी 11 को अपूर्ण लेखे दाखिल करने का लेख किया गया. आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर सतना ने अभ्यर्थी को जिला स्तर पर नोटिस जारी कर लेखे पूर्ण किये जाने हेतु सूचना पत्र दिनांक 1 मई 2010 को जारी किया. कलेक्टर सतना ने पत्र दिनांक 7 जुलाई 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी द्वारा लेखे पूर्ण नहीं किये गये.

सुश्री सुशीला बाई डोहर, को आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 30 नवम्बर, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 15 दिसम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही लेखे ही पूर्ण किए गए. नोटिस की तामिली उपरांत कलेक्टर, सतना ने अपने पत्र दिनांक 25 जनवरी 2011 में लेख किया कि "सुश्री सुशीला बाई डोहर को आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की तामिली तत्समय में कराने के उपरांत भी उक्त अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक अपना अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया." कलेक्टर, सतना से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 18 मार्च 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामिली कलेक्टर, सतना द्वारा दिनांक 11 मार्च 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री सुशीला बाई डोहर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत जैतवारा, जिला सतना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उड़के)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र एफ 67-202-10-तीन-595.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् रहली जिला सागर के आम निर्वाचन में श्री महेश पटेल अध्यक्ष पद के

अभ्यर्थी थे. नगर पालिका परिषद् रहली जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के पास दाखिल किया जाना था. किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के पत्र क्र. 754-स्था.निर्वा./10, दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री महेश पटेल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री महेश पटेल को कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 मई 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के माध्यम से दिनांक 5 जून 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री महेश पटेल को नोटिस दिनांक 5 जून 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सागर ने अपने पत्र दिनांक 5 अगस्त 2010 में लेख किया कि "महेश पटेल को दिए गए नोटिस की तामीली विधिवत कराई जाकर पावती प्राप्त की गई परन्तु उक्त संबंधित नोटिस का जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है.". उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 9 फरवरी 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 8 मार्च 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए, अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली 3 मार्च 2011 को हो गई थी. अभ्यर्थी ने दिनांक 3 मार्च 2011 को ही एक अभ्यावेदन डाक के माध्यम से आयोग को प्रेषित किया, जिसमें निर्वाचन व्यय लेखा की जानकारी एक सादे कागज पर लिख रिकार्ड में दर्ज करने का अनुरोध किया. अभ्यर्थी द्वारा विहित रीति एवं प्ररूप (निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर) में व्यय लेखा की जानकारी प्रेषित नहीं की गई एवं न ही अभ्यावेदन में विलंब से जानकारी प्रेषित करने

के संबंध में कोई ठोस कारण अथवा प्रमाण ही प्रस्तुत किये.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री महेश पटेल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् रहली जिला सागर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र एफ 67-264-10-तीन-597.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत खांड, जिला

शहडोल के आम निर्वाचन में सुश्री गीता पांडेय अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगर पंचायत खांड जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पास दाखिल किया जाना था। किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पत्र क्र. न.पा.निर्वा.-10-713, दिनांक 22 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री गीता पांडेय द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री गीता पांडेय को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 मई 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के माध्यम से दिनांक 26 मई 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

सुश्री गीता पांडेय, को नोटिस दिनांक 26 मई, 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 10 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 23 जून 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी सुश्री गीता पांडेय द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया। उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 अक्टूबर 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामिली कलेक्टर शहडोल द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री गीता पांडेय को इस प्रकार

चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत खांड, जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र एफ 67-264-10-तीन-598.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत खांड, जिला शहडोल के आम निर्वाचन में सुश्री माया सिंह अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगर पंचायत खांड जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पास दाखिल किया जाना था। किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पत्र क्र. न.पा.निर्वा.-10-713, दिनांक 22 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री माया सिंह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री माया सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 मई 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के माध्यम से दिनांक 26 मई 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

सुश्री माया सिंह, को नोटिस दिनांक 26 मई, 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 10 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 23 जून 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी सुश्री माया सिंह द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया। उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 अक्टूबर 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर शहडोल द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री माया सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत खांडू, जिला शहडोल का पार्श्वदायक अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार
कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्र. 931.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम, 277, 278 एवं 279 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, उक्त नियम के अध्याय 32 के नियम, 279 के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम (एक) में दर्शाये अनुसार योजना के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के सुसंगत प्रावधानों को अनुसूची के कॉलम (दो) के अनुसार संशोधित कर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील करता है:—

वर्तमान प्रावधान
(एक)

संशोधित प्रावधान
(दो)

1. मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 11 जुलाई 2008 के पृष्ठ क्रमांक 1682 में प्रकाशित हितग्राही पुत्री अथवा महिला हितग्राही के विवाह हेतु सहायता योजना 2004 की कंडिका

6.1 पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम पांच महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह/एकल विवाह के आयोजन की दशा में रुपये पांच हजार प्रति विवाह सहायता देय होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त रुपये एक हजार सामूहिक विवाह के आयोजक को प्रति विवाह अलग से देय होगी।

6.2 विवाह की प्रस्तावित तिथि के 1 माह पूर्व आवेदन की दशा में पात्रता की जांच उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जनपद पंचायत अथवा जनपद पंचायत द्वारा अधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

6.1 पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक रुपये दस हजार प्रति विवाह सहायता देय होगी।

न्यूनतम पांच महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रुपये नौ हजार प्रति विवाह सहायता देय होगी एवं इसके अतिरिक्त रुपये एक हजार प्रति विवाह सामूहिक विवाह के आयोजक को अलग से राशि देय होगी।

6.2 विवाह की प्रस्तावित तिथि से 1 दिन पूर्व तक प्रस्तुत आवेदनों की जांच उपरांत सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा सहायता स्वीकृत की जायेगी।

प्रभात दुबे, सचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 11 मार्च 2011

क्र. 622-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	असालिया	13.69	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	असालिया तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
योग . .			13.69		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 624-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	नाहरपुरा	0.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1 झाबुआ.	नाहरपुरा नहर निर्माण हेतु
योग . .			0.20		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 21 मार्च 2011

क्र. 717-भू-अर्जन-2010-11-रा. प्र. क्र. अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	रूणजी	4.85	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की पीथापाड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु.
योग ..			4.85		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 13-अ-82-वर्ष-2010-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	मेहगांव	1.320	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	मेहगांव जलाशय के अंतर्गत उपनहर निर्माण हेतु.
योग ..			1.320		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

संशोधित अधिसूचना

मनावर, दिनांक 20 अप्रैल 2011

क्र. 485-वाचक-प्र. क्र. 04-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	कोसवाड़ा (पूरक)	2.069	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-30, मनावर.	ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 153261 मी. से 155804 मी. तक एवं डी. एम. 77 से प्रभावित होने वाली भूमि हेतु.
		प.ह.नं. 17.	योग . . 2.069		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. 3918-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	नीमखेड़ा	3.870	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार.	थाना तालाब नहर निर्माण अंतर्गत प्रभावित होने से.
			योग . . 3.870		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 3923-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	बेकल्या	6.921	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार.	थाना तालाब नहर निर्माण अंतर्गत प्रभावित होने से.
योग . .			<u>6.921</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 3928-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	घटबोरी	15.660	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, धार.	थाना तालाब नहर की निर्माण से प्रभावित होने से.
योग . .			<u>15.660</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 3933-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	थाना	3.728	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, धार.	थाना तालाब की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
योग . .			<u>3.728</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 3938-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुशी	चिचवा	3.323	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	थाना तालाब की नहर निर्माण से
		योग . .	<u>3.323</u>	संभाग, क्रमांक-1, धार.	प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग कुशी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 3968-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	बदनावर	माकनी	0.680	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं	माही परियोजना से पीथमपुर हेतु
		योग . .	<u>0.680</u>	उद्योग केन्द्र, धार.	जलप्रदाय की स्थापना के लिये
					माकनी की भूमि प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग बदनावर तथा महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मनावर, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. 547.-वाचक-प्र.क्र. अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	पिपरी पूरक	1.139	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास	आँकारेश्वर परियोजना की नहर
		प्रकरण	योग . . 1.139	संभाग क्रमांक-30, मनावर.	आर.डी. 124975 मी. से 127090
		प.ह.नं. 29			मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 21 अप्रैल 2011

क्र. 1131-भू-अर्जन-11-प्र. क्र. 07-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	भानपुरा	कोहला	3.047	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन गांधीसागर.	पिपल्दा, लालगंज तालाब से वेस्टवअर हेतु.
			योग . . 3.047		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 21 अप्रैल 2011

क्र. 712-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	झिरन्या	पखालिया	वन परिक्षेत्र चिरिया के ग्राम पखालिया वन भूमि में दिनांक 13-12-2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त वन भूमि है. क्षेत्रफल 3.802 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 19, भीकनगांव.	अपरवेदा परियोजना की मुख्य नहर, सुर्वा माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य.

नोट.—(1) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 19, भीकनगांव एवं वन मण्डलाधिकारी, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

(2) वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्ञाप क्र. 6-19-2005-1333, दिनांक 27 जुलाई 2006 से निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त की गई है.

क्र. 713-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

		भूमि का वर्णन		अनुसूची	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
खरगोन	झिरन्या	लखापुर	वन परिक्षेत्र चिरिया के ग्राम लखापुर वन भूमि में दिनांक 13-12-2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त वन भूमि है. क्षेत्रफल 0.540 हे.		कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 19, भीकनगांव.	अपरवेदा परियोजना की सुर्वा माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य.

नोट.—(1) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 19, भीकनगांव एवं वन मण्डलाधिकारी, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

(2) वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्ञाप क्र. 6-19-2005-1333, दिनांक 27 जुलाई 2006 से निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 8- अ-82-वर्ष 2010-11-2883.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

		भूमि का वर्णन		अनुसूची	धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	खैरवाड़ा	5.897		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	मारू जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-वर्ष 2010-11-2884.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	चारघाटी	3.064	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	मारू जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-वर्ष 2010-11-2885.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	चिचपाटी	5.060	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	मारू जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-वर्ष 2010-11-2886.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	पचबड़	0.920	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	मारू जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-वर्ष 2010-11-2887.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	सांवलमेढ़ा	0.323	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	गुनघाटी जलाशय की बाँधी तट नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-वर्ष 2010-11-2888.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	खापा रैय्यत	9.270	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	गुनघाटी जलाशय की बाँधी तट नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-वर्ष 2010-11-2889.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	गदराझिरी	7.536	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	गुनघाटी जलाशय की बाँधी तट नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-वर्ष 2010-11-2890.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	कौड़िया	15.415 बांध 1.038 स्पील चेनल 2.711 नहर	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	कौड़िया जलाशय बांध, स्पील चेनल नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
			योग . . 19.164		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय आनंद कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 अप्रैल 2011

क्र.-691-भू-अर्जन-2011-संशोधित अधिसूचना.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय से उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	1. रतहरा 2. रतहरी	0.580 1.512	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र. 1.	रिंग रोड निर्माण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. गडरिया	1.833		
		4. लोही	2.219		
		5. जोरी	2.079		
		6. सिलपरी	0.497		
		7. डकवार	0.090		
		8. सिलपरा	0.008		
		कुल योग . .	<u>8.818</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 25 अप्रैल 2011

क्र.-6857-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	कलालपुरा	0.948	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	कलालपुरा तालाब की नहर
		चोकी	1.048	संभाग, राजगढ़	निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
राजगढ़	राजगढ़	कलालपुरा	1.226	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन	कलालपुरा तालाब के निर्माण
		बानपुरा	1.750	संभाग, राजगढ़	हेतु शेष रही भूमि का अर्जन.
		योग . .	<u>4.972</u>		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र.-6947-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के

संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	बडलावदा	2.829	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	बडलावदा तालाब के डूब
राजगढ़	राजगढ़	खुजनेर	0.308	संभाग, राजगढ़	क्षेत्र की शेष रही भूमि का
			योग . .		भू-अर्जन.
			3.137		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़/भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 01-भू-अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	खसरा नंबर	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	अर्जित किये जाने वाले हैं.	अर्जित किये जाने वाले हैं.	(6)	(7)
			खसरा नं.	रकबा (हे.मे.)		
भोपाल	हुजूर/ भोपाल	कढैया	18/1	0.700	कार्यपालन यंत्री, सम्राट	सम्राट अशोक सागर जलाशय
			18/2	0.100	अशोक सागर संभाग	का जल स्तर 1504 फिट से
			39/1	0.150	क्र. 2 विदिशा.	1508 फिट बढ़ाने हेतु.
			39/2	0.020		
			25	0.320		
			45/128	0.010		
			92	0.050		
			45	0.050		
			93	0.220		
			97	0.530		
			95	0.500		
			99	0.270		
			96	0.510		
			योग . .	3.430		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 2-भू-अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किये जाने वाले हैं. खसरा नं. रकबा (हे.मे.)		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुका	नगर/ ग्राम	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) भोपाल	(2) हूजूर/ भोपाल	(3) करोंदखुर्द	2	1.390	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 विदिशा.	सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
			3	0.810		
			4	0.640		
			5	1.000		
			6	0.900		
			7	0.130		
			85/189	0.430		
			8	0.200		
			9	0.050		
			10	0.750		
			11	1.780		
			4/199	0.230		
			10/200	0.120		
			61/1	0.190		
			55/2	0.150		
			61/2	0.620		
			56	0.500		
			57	1.200		
			60	0.660		
			69	0.700		
			58	2.040		
			74	0.500		
			78	0.900		
			77	0.040		
			59	1.250		
			62	0.710		
			63/1	0.400		
			64	0.110		
			68	0.050		
			70	0.240		
			80	0.100		
			73/2	0.760		

(1)	(2)	(3)	खसरा नं.	रकबा (हे.मे.)	(6)	(7)
			(4)	(5)		
			79	0.150		
			73/1	0.910		
			81/3	0.340		
			81/2	0.330		
			81/1	0.330		
			84	0.360		
			84/202	0.170		
			85/1	1.070		
			85/2	0.160		
			94/1	0.910		
			83/1	0.530		
			83/2	0.530		
			86	2.060		
			87	0.160		
			89	1.470		
			88	0.500		
			90	4.300		
			92	3.180		
			91	1.570		
			93	3.230		
			102	0.250		
			94/2	0.790		
			116/1	0.800		
			94/3	1.200		
			103	0.240		
			116/2	0.800		
			100	2.470		
			101	0.630		
			104	0.300		
			105/1	0.410		
			105/2	0.800		
			106	0.350		
			109	0.120		
			110	0.570		
			111	0.300		
			112	0.200		
			107	0.600		
			108	0.950		
			113	1.010		
			182/192	1.240		
			114	0.400		
			115	4.200		
			116/204	0.100		

(1)	(2)	(3)	खसरा नं.	रकबा (हे.मे.)	(6)	(7)
			(4)	(5)		
			116/3	0.610		
			118	0.410		
			171/2	0.800		
			174	1.150		
			175	0.180		
			176	0.200		
			180	0.500		
			182	0.110		
			184	0.600		
			73/203	0.010		
			184/194/1	1.500		
			184/194/2	0.220		
			183/193	0.650		
			87/198	0.280		
			94/4	1.050		
			योग . .	68.820		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-भू-अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित किया जाने वाले है. खसरा नं.	रकबा (हे.मे.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	हुजूर/ भोपाल	कनेरा	24	0.170	कार्यपालन यंत्री, सम्राट
			25	0.500	अशोक सागर संभाग
			26	0.500	क्र. 2 विदिशा.
			29	0.330	
			30	0.630	
			31	0.730	
			52/1	0.228	
			53	0.340	
			52/2	0.100	
			54	0.730	
			योग . .	4.258	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-भू-अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले खसरा नं. रकबा (हे.मे.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	हूजूर भोपाल	मोमनपुर	13	0.460	कार्यपालन यंत्री, सम्राट	सम्राट अशोक सागर जलाशय
			14	2.700	अशोक सागर संभाग	का जल स्तर 1504 फिट से
			15	0.150	क्र. 2, विदिशा.	1508 फिट बढ़ाने हेतु.
			17	0.200		
			18	0.150		
			22	0.270		
			24	0.590		
			28	0.200		
			30	0.140		
			23	0.160		
			31	0.150		
			32	1.150		
			34	0.120		
			49/2	0.450		
			51/2	0.400		
			51/1/1	0.680		
			49/3	0.050		
			योग . .	8.020		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हूजूर जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंजकुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. 631-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने में (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	ग्राम लभौली	1.50	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर के मुड़ियारी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 633-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने में (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की वर्णित (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	सहेबा 535 ज. नं.	0.275	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी वितरक नहर की पिपरवार वितरक की सहेबा माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 635 भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने में (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	देवरा ज. न. 247	0.150	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की देवरा माइनर नं. 1 एवं 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 637-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने में (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पिपरवार	0.038	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी वितरक नहर की पिपरवार माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 639-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने में (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	तिवनी पैपखार	0.415	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी नहर की आलमगंज वितरक नहर एवं उसकी माइनर वितरक नहर की तिवनी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग संशोधित अधिसूचना

मुरैना, दिनांक 26 अप्रैल 2011

प्र. क्र. कोर्ट कले.-राजस्व-भू-अर्जन-09-10-अ-82-530.—में पूर्व प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर 2010 में तहसीलदार, मुरैना के प्रतिवेदन के आधार पर मौके की स्थिति अनुसार आंशिक संशोधन किया जाता है. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

संशोधित अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	पूर्व में अधिग्रहण हेतु प्रकाशित रकबा	संशोधित अधिग्रहण हेतु शेष रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	सर्वे क्र. रकबा	सर्वे क्र. रकबा	(6)	(7)
मुरैना	मुरैना	पिपरई	1518 0.520	1518/1 0.050	प्रबंधक संचालक	धौलपुर-मुरैना मार्ग पर
			1502 0.056	1502 0.064	म. प्र. सड़क विकास	इन्टीग्रेटेड चैक पोस्ट
			1610 0.022	1610 0.168	निगम, भोपाल.	बेरियर निर्माण हेतु निजी
			1611 0.244	1611 0.025		भूमि का स्थायी रूप से अर्जन.

नोट.— सर्वे क्रमांक 1611, रकबा 0.244 में से संशोधित अधिग्रहित रकबा 0.025 है. शेष रकबा 0.219 अधिग्रहण से मुक्त.
सर्वे क्रमांक 1610, रकबा 0.210 में से कुल अधिग्रहित रकबा 0.190 है. शेष रकबा 0.020 अधिग्रहण से मुक्त.
सर्वे क्रमांक 1518, रकबा 0.570 का सम्पूर्ण रकबा अधिग्रहित है. शेष रकबा नहीं है.

सर्वे क्रमांक 1518, रकबा 0.570 का सम्पूर्ण रकबा अधिग्रहित है. शेष रकबा नहीं है.
सर्वे क्रमांक 1502, रकबा 0.120 का सम्पूर्ण रकबा अधिग्रहित है. शेष रकबा नहीं है.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, मुरैना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. क्यू-भू-अर्जन-550.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	नरवर	गडौला	27/1	0.04	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, नरवर, जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत मगरौनी माइनर उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु.
			27/2	0.02		
			30	0.04		
			31	0.06		
			32/1	0.08		
			32/2	0.01		
			43/1	0.15		
			43/2	0.01		
			44	0.08		
			63	0.12		
			64	0.03		
			65	0.02		
			71/1	0.05		
			79/3	0.17		
			80	0.05		
			81	0.04		
			82	0.02		
			83	0.03		
			84/1	0.01		
			84/2	0.01		
			कुल रकबा	1.04		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-549.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	मगरौनी	516/1	0.46	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना, दायीं तट नहर संभाग, नरवर.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत 2 आर मायनर (L.I.S.) की दौलताबाद सब मायनर का निर्माण कार्य.
			516/2	0.16		
			514/1/1	0.09		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. 1357-भू.अ.अ.-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन				धारा (4) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	1. फतेहपुर	5.67	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह.	फतेहपुर जलाशय योजना निर्माण में छूट गए शेष खसरा नंबरों की भूमि का अर्जन.
		2. देवदरा	0.88		

कुल योग . . 6.55

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 20 जनवरी 2011

रा. मा. क्र. 07-अ-82-2010-11-पत्र क्रमांक 41-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—खकरिया, प. ह. नं. 2
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.806 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
3/1	0.016
4	0.041
5/1	0.061
6/1	0.210
6/2	
12/1	0.275
13/1	
22/1	0.113
7/1-2	
8/1-2	0.041
9/1-2	
10/1-2	
22/3	0.049

योग : 0.806

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मुख्य नहर के सीपेज जोन में ड्रेन निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

रा. मा. क्र. 08-अ-82-2010-11-पत्र क्रमांक 41-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—नरवारा, प. ह. नं. 2
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.195 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/2	
2/3	0.195
2/4	
3/2	
3/3	
योग : <u>0.195</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिवनी गाडरवारा तेंदूखेड़ा मार्ग के कि. मी. 14/10 निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

नरसिंहपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 01-अ-82वर्ष-2010-11-पत्र क्रमांक 03-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—अमोदा		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.978 हेक्टेयर		75/6	
खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)	77/6	0.437
(1)	(2)	130/2	
13/2	0.040	75/1ख	
14/1	0.044	76/1	0.437
13/1	0.040	130/1ख	
15/1	0.048	130/10	
15/2	0.072	75/1ग	
12/3	0.072	77/2	0.162
20/1	0.020	130/1	
20/2	0.020	74/3-	0.364
20/3	0.020	75/1-6	
20/5	0.012	74/2	0.032
20/4	0.020	74/4	0.028
21/1	0.032	74/1	0.060
5/1-2ख	0.101		योग : 3.978
5/1-3ग	0.101		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सड़क निर्माण हेतु.
5/1-3घ	0.088		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय, गाडरवारा में किया जा सकता है.
5/2ख	0.202		
5/1	0.101		
12/1	0.032		
12/4	0.036		
9/1ठ	0.064		
9/1ट	0.040		
72/4	0.048		
72/3	0.048		
72/1ख	0.040		
72/1क	0.040		
71/1ख	0.040		
78/1-3	0.072		
70/2	0.050		
70/1	0.190		
84/1	0.142		
52/1	0.060		
52/2	0.060		
84/2	0.060		
82	0.020		
83	0.060		
80/2	0.069		
80/1	0.081		
79	0.101		
78/2	0.024		
14/2	0.048		

प्र. क्र. 2-अ-82वर्ष-2010-11-पत्र क्रमांक 13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—करेली
(ग) ग्राम—आमगांवडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.323 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
18	0.052
16	0.080
15/3-4	0.024
19	0.040
13/2-14/1	0.048

(1)	(2)	(1)	(2)
12/2	0.061	18/2	0.056
21/2	0.092	19/1	0.121
11/1-2	0.084	20/1	0.049
23/1	0.081	20/2	0.088
23/2	0.032	24/1	0.052
23/3	0.056	24/2	0.044
164/1	0.064	29	0.076
163/3	0.068	30	0.056
163/1	0.056	113/2	0.040
163/4	0.084	113/1	0.028
24	0.016	133/3	0.048
160/1	0.020	112	0.064
162	0.048	111/1	0.064
160/2	0.006	110/2	0.024
150/1	0.151	11/03	0.024
151-150/2	0.024	110/4	0.040
149	0.032	109/1	0.020
147/1	0.048	105/1	0.116
152/2-3-4	0.056	105/2	0.048
योग : <u>1.323</u>		101	0.068
		100	0.160
		238/1-2	0.524
		239/1	0.053
		239/2	0.040
		239/3	0.048
		241/1-2	0.130
		242/1-2-3	0.244
		237	0.144
		योग : <u>2.493</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82वर्ष-10-11-पत्र क्रमांक 13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—महगुंवाकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.493 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
18/1	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय गाडरवारा में किया जा सकता है.

नरसिंहपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 04-अ-82वर्ष-2010-11-पत्र क्रमांक 216-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)

की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—पलोहा बड़ा, प. ह. नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.080 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
423/3	0.060
423/2क	0.020
योग : <u>0.080</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अमोदा टेल माइनर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा,
मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 2 अप्रैल 2011

क्र. 317-2010-एलए-भू-अर्जन प्र. क्र. 1अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पूर्व निमाड़ खण्डवा
(ख) तहसील—हरसूद
(ग) ग्राम—बलड़ी, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 0.50 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकबा (हे. में)	परिसम्पत्ति (3)
(1)	(2)	
9/2	0.50	निरंक
योग . . . <u>0.50</u>		निरंक

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना में डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा क्रमांक 5 (नया हरसूद) के न्यायालय एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 21 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 1-अ-82-2009-10-शुद्धि पत्र.—इस कार्यालय द्वारा भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना प्र. क्र. 1-अ-82-2009-10 भू-अर्जन ग्राम हरिपुरा, तहसील हरसूद, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के लिये दो स्थानीय समाचार-पत्र एवं राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी गई थी. उक्त अधिसूचना का प्रकाशन हिन्दी समाचार पत्र हिन्दी दैनिक "पत्रिका" में दिनांक 11 फरवरी 2011 व दूसरे समाचार-पत्र "नव भारत" में दिनांक 25 फरवरी 2011 में एवं राजपत्र पृष्ठ क्रमांक 537, दिनांक 25 फरवरी 2011 त्रुटिपूर्ण प्रकाशन होने से निम्नानुसार संशोधन नीचे दर्शाये अनुसार पढ़ा जावे.—

प्रकाशन हुआ

प्रकाशन होना था जो पढ़ा जाये

(ड) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि)–
3.43 हेक्टेयर

(ड) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि)–
47.53 वर्गमीटर

नोट.—प्रकरण में संबंधित शेष विवरण पूर्व प्रकाशन अनुसार ही रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 अप्रैल 2011

प. क्र. 2639-(क)-प्र. भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—मालथौन
(ग) ग्राम—करनैलगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.81 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
46	0.425
45	0.495
42/1, 42/2	0.235
41	0.368
38/2	0.274
40	0.005
37	0.137
36/1	0.184
36/1	0.102
34	0.072
35	0.294
33	1.427
225	0.148
160	0.116
154	0.043
158	0.030
172	0.017
173	0.120
175	0.001
174	0.080
169	0.105
155	0.140
161	0.103
170	0.056
162	0.206
166	0.389
164	0.20
165	0.48
रास्ता	0.147
223	0.19
225	0.147
231	0.050

(1)	(2)
230	0.243
232	0.024
229	0.118
228	0.08

योग : 6.81

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सागर-ललितपुर (एन. एच. 26) अन्तर्राज्यीय चैक पोस्ट के निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुरई में देखा जा सकता है.

सागर, दिनांक 8 अप्रैल 2011

प. क्र. 2679-(क)-प्र. भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—मालथौन
(ग) ग्राम—खिरियाडांग
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.24 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
35/2	0.08
36	0.11
35/1	0.11
34	0.28
33	0.31
32	0.35

योग : 1.24

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सागर-ललितपुर (एन. एच. 26) अन्तर्राज्यीय चैक पोस्ट के निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुरई में देखा जा सकता है.

सागर, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. 2771-(क)-प्र. भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—मालथौन
(ग) ग्राम—खिरियाकलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.24 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
298	0.09
299	0.03
295	0.05
206	0.05
284	0.01
208	0.01
योग : 0.24	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बीना खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुरई में देखा जा सकता है.

क्र. 2774-(क)-प्र. भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—मालथौन

- (ग) ग्राम—बरुआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.38 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
47	0.20
45	0.25
140	0.32
145	0.65
146	0.27
152	0.16
157/1	0.16
158	0.08
162/3	0.10
162/5	0.10
162/7	0.05
162/8	0.04
योग : 2.38	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बीना खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में देखा जा सकता है.

क्र. 2777-(क)-प्र. भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—मालथौन
(ग) ग्राम—चक्कबघोनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.19 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
23	0.07
24	0.01
33	0.11
योग : 0.19	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बीना खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में देखा जा सकता है.

क्र. 2791-(क)-प्र. भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—मालथौन
(ग) ग्राम—बम्होरीलाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.10 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
37/1	0.01
37/2	
38	0.02
23	0.05
20/1	0.02
योग : 0.10	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में देखा जा सकता है.

क्र. 2793-(क)-प्र. भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—मालथौन

- (ग) ग्राम—लोंगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.51 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
411	0.22
413	0.04
463	0.05
464	0.04
465	0.07
466	0.03
468/1	0.05
469/1	0.01
योग : 0.51	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बीना खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 21 अप्रैल 2011

क्र. 487-वाचक-प्र.क्र.-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—अजन्दीकोट (पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—21.723 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
177	0.042
178	0.160

(1)	(2)	(1)	(2)
179	0.245	287/1	
189	0.042	287/2	0.250
180/1	0.020	287/3	
183/1	0.010	286/1	0.140
184	0.365	281/2/2	0.100
251	0.260	281/2/3	0.350
	0.040	282	0.200
252	0.180	283/1	0.100
253	0.020	279/1/3	0.125
267/1	0.110	300/2	0.210
267/2	0.110	317/1	0.050
267/3	0.110	317/3	0.500
267/4	0.110	314/1/1	0.360
267/5	0.110	314/2	0.320
266/2/2	0.035	332/1	0.190
266/3	0.160	332/2	0.190
297	0.200	332	0.300
298/2	0.200	333	0.200
299	0.100		0.240
298/1	0.200	327	0.250
295/1	0.480	206/2	0.350
294	0.050	328	0.024
291/1	0.240	339/2	0.285
289/1	0.100	347/3/2	0.200
289/2	0.200	347/2	0.340
46/1/1/1	0.150	346/2	0.052
46/2		166/2	0.110
47/1	0.300	166/1	0.110
47/2	0.340	164	0.090
47/3/2	0.340	165/2	0.210
47/3/1/2	0.276	146	0.500
47/3/1/1	0.276	190	0.129
48	0.454	45	0.180
49/1	0.220	46/1/1/2	0.100
51/3	0.120	46/1/2	0.150
51/1	0.265	62/2/1	0.220
51/2	0.265	62/1/1	0.230
53/1क	0.310	59/1/1/2	0.200
53/2	0.110	59/1/2/1	0.060
54/2	0.075	59/2/2	0.100
54/3	0.075	59/3	0.060
54/1	0.160	59/1/3	0.100
63	0.340	59/2/1	0.160
82/3	0.250	4/2/1/1/1	0.230
		4/1/ख	0.110

(1)	(2)
4/1/क	0.140
3/2/क/1	0.120
3/2/क/2	0.120
3/1/क	0.230
2/2ख/2	0.130
2/2क	0.130
2/1	0.360
96/2	0.376
244	0.220
245/6	
96/1	0.250
94/1	0.200
98/2	0.100
46/1/3	0.130
93/1	0.190
94/2	
91	0.196
87/2	0.500
88/1	
86/2	0.350
87/2	
86/1/2	0.110
85/4	0.370
86/1/1/2	0.180
85/1	0.060
76/2	0.600
76/1	0.050
206/1	0.011

योग : 21.723

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 145000 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय 16 की आर. डी. 0 से 6830 मी. तथा उसकी माईनरों एवं 145675 मी. से निकलने वाली डी. एम. 73 की आर. डी. 0 से 7070 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2011

क्र. 6749-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (पाड़ल्याखेड़ी तालाब की नहर एवं डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित निजी भूमि कार्य) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—कल्पोनी, पाड़ल्याखेड़ी, रसुलपुरा एवं बखेड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—41.151 हेक्टेयर

सर्वे नं.

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

नहर में प्रभावित भूमि—

ग्राम—कल्पोनी, क्षेत्रफल 7.675 हेक्टेयर

30/1	0.250
31	0.300
35	0.200
30/2	0.250
36/2	0.100
46	0.160
34	0.280
50/3	0.200
50/7	0.080
50/5	0.080
49/2	0.080
49/3	0.080
50/6	0.080
50/8	0.080
49/1	0.080
53	0.200
54/4	0.120
208/1/4	0.375
208/3/3	0.450

(1)	(2)	(1)	(2)
211/1/2	0.075	816/5	0.200
211/2/1	0.075	816/4	0.300
291/2	0.029	760/2	0.174
292/2	0.051		योग : 1.427
63/1	0.350	ग्राम—कल्पोनी, क्षेत्रफल 9.020 हेक्टेयर	
63/2	0.170	406/2/1	0.118
212	0.100	413/3/1	0.170
216/1	0.050	436/4/1	0.107
286/1	0.100	406/2/2	0.079
286/2	0.100	413/3/2	0.170
287/2	0.280	436/4/2	0.107
291/3/2	0.010	406/2/3	0.079
292/3/1	0.040	413/3/3	0.170
291/3/1	0.010	436/4/3	0.108
291/1/1	0.015	391	0.446
294/3/1	0.140	392	0.065
291/1/2	0.016	406/1	0.316
294/3/2	0.140	406/2/4/1	0.014
291/3/3	0.010	413/3/4/1	0.056
292/3/2	0.078	436/4/1	0.036
294/4	0.140	406/2/4/2	0.006
292/1	0.051	413/3/4/2	0.029
295	0.190	436/4/4/2	0.018
315	0.600	406/2/4/3	0.020
443/1/1	0.250	413/3/4/3	0.085
443/1/1/1	0.140	436/4/4/3	0.054
443/1/2	0.140	440/4/4/3	0.057
443/1/3	0.140	751/1	0.153
443/1/4	0.140	751/11	0.961
444	0.300	751/2	0.153
454/2	0.300	751/10	0.961
	योग : 7.675	751/3	0.153
		751/9	0.961
		751/4	0.203
		751/5	0.203
		751/6	0.200
		751/7	0.203
		751/8	0.695

बांध के डूब में शेष बची प्रभावित भूमि—

ग्राम—पालड़याखेड़ी, क्षेत्रफल 71.427 हेक्टेयर

757/2	0.253
816/7	0.250
816/6	0.250

(1)	(2)	(1)	(2)
430/3/3	0.188	582/1/1	0.013
430/3/2	0.187	258	0.102
703/3	0.013	609/1/4	0.084
707/3	0.101	270/1/3	0.452
707/1	0.114	609/1/2	0.084
703/1	0.013	582/1/4	0.013
707/2	0.101	613/1/4	0.060
454/1/1	0.150	346	0.253
670/1	0.117	567	0.742
670/2	0.051	566	0.101
670/3	0.089	560	2.276
695/4	0.065	559	1.101
695/3	0.066	322	0.063
695/2	0.066	547	1.000
695/1	0.066	545	0.139
434/1	0.148	565/3	0.493
439/2	0.329	289/1	0.151
योग :	<u>9.020</u>	326	0.152
		262	0.785
ग्राम—रसूलपुरा, क्षेत्रफल 13.663 हेक्टेयर		541/2	0.101
324/2	0.316	340/1	0.010
579/7	0.101	338/1	0.040
579/6/1	0.291	270/1/4	0.452
615/1/2	0.247	583/1	0.069
615/1/3	0.657	584/1	0.050
582/2	0.051	615/1/4	0.065
609/2	0.339	348/2/2	0.027
579/5	0.379	249	0.150
579/6/2	0.190	260/2	0.117
585	0.080	261	0.088
297/3	0.073	321	0.266
250	0.103	615/2	0.558
548	0.013	354/3	0.050
583/2	0.070	योग :	<u>13.663</u>
582/1/3	0.013		
609/1/1	0.084	ग्राम—बखेड़ा, क्षेत्रफल 9.366 हेक्टेयर	
609/1/3	0.084	26/2	0.045
270/1/2	0.452	10/1238/3/3	0.063
582/1/2	0.013	268/1	0.304
		27/1	0.404

(1)	(2)	(1)	(2)
56/1/3/2	0.069	29/2	0.313
69/2	0.948	29/3	0.076
257/1	0.068	254/1	0.016
32	0.159	10/2238/3/2	0.063
55	0.316	योग :	<u>9.366</u>
429	0.020		
425	0.041	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—पाड़ल्याखेड़ी तालाब की नहर एवं डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित निजी भूमि कार्य हेतु.	
269	1.101		
282	0.342	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.	
283	0.152		
263	0.076		
306	0.020		
307	0.030		
207	0.152		
186	0.800		
176	0.072		
1539	0.051		
73/2	0.216		
70	0.109		
1513	0.089		
1463/1	0.051		
72	0.111		
1525	0.111		
247	0.111		
1449/1	0.065		
37/1	0.050		
289	0.063		
35	0.300		
190/2	0.065		
45/11	0.306		
36/2	0.336		
36/1	0.100		
291	0.101		
292	0.101		
44/2	0.101		
73/1	0.365		
190/3	0.331		
10/2238/3/1	0.114		
29/1	0.469		

राजगढ़, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. 6945-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—सारंगपुर
(ग) नगर/ग्राम—मूंडलालोधा, घोसला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.506, 5.903 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)

(1) (2)

ग्राम—मूंडलालोधा

451/1 0.100
451/2 0.100
462/7/1 0.400
462/7/2 0.570
463/1 0.100
464/2 0.107
466/2 0.180
475/1/7 0.400
477/6/1 0.506

(1)	(2)	(1)	(2)
480	0.050	739	0.130
481/1	0.138		योग . . 10.506
481/2	0.291		ग्राम—घोसला
483/1/7	0.100	220/1	1.050
483/1/8	0.200	220/2	0.450
483/1/9	0.260	221	0.160
483/1/10	0.316	222/1/1	0.040
483/1/11	0.239	222/1/2	0.050
483/1/12	0.297	222/2	0.050
483/1/13	0.297	223	0.240
483/1/14	0.298	224	0.250
483/1/15	0.379	232	0.092
483/1/18	0.306	233	0.190
483/1/21	0.379	238	0.090
4/3/126	0.417	239/1/1	0.222
483/1/28	0.458	239/1/2	0.290
483/1/29	0.304	239/2	0.038
483/1/30	0.303	248/1	0.253
483/1/34	0.253	248/3	0.100
502	0.200	258/2	0.051
560	0.065	259/1/1	0.200
561	0.036	261/1	0.196
562	0.024	261/2	0.196
564	0.113	269	0.038
565	0.138	287/1	0.059
618/2/4	0.039	371/1	0.125
628	0.207	371/2/1	0.100
630	0.113	371/2/2	0.113
631	0.101	371/2/3	0.088
632	0.049	371/3	0.126
634/1	0.044	374	0.089
634/2	0.146	375/1/1	0.401
635	0.036	376/1	0.139
721	0.150	376/2	0.012
738/1/2	0.285	380/1	0.040
738/1/1/3	0.200	380/2	0.050
738/1/4	0.150	383/1	0.040
738/2/2/6/1	0.247	384	0.175
738/2/6/2	0.285	394	0.100
			योग . . 5.903

क्र. 6949-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—सारंगपुर
(ग) नगर/ग्राम—मूंडलालोधा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.475 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—मूंडलालोधा (नहर)	
97/1	0.240
97/2/1/3	0.135
97/2/1/4	0.140
97/2/1/5	0.140
97/7	0.270
98/2	0.080
463/1	0.250
468	0.070
474	0.150
योग . .	<u>1.475</u>

राजगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2011

क्र. 7066-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा

- (ग) ग्राम—आमडोर, तुमड़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.808 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—आमडोर	
138	0.030
173/2	0.065
141/1	0.010
142/2/1	0.041
142/1	0.063
201/1/3	0.253
172/2	0.068
173/1	0.085
174/1	0.040
178	0.045
180	0.098
232/2	0.105
229	0.110
244/1/1/2	0.060
228/2/2	0.130
227/3	0.022
227/4	0.023
227/5	0.045
206	0.035
199/1/1	0.051
योग . .	<u>1.379</u>

ग्राम—तुमड़िया

28	0.300
26/1/2	0.086
26/1/1/1	0.110
26/1/1/2	0.123
26/1/1/3	0.123
34/2	0.150
91/1	0.030
91/2	0.030
91/4	0.240
97/1/1	0.100
89/1	0.033
89/2	0.034

(1)	(2)	(1)	(2)
97/1/2	0.013		
89/3	0.033	12	0.040
27/1	0.024	18	0.063
योग . .	<u>1.429</u>	19/1	0.004
कुल योग . .	<u>2.808</u>	19/2	0.004
		20/2/4	0.056
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—		<u>17/1</u>	
लखनवास से तुमड़िया मार्ग निर्माण हेतु.		1/1	0.030
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय		<u>17/1</u>	0.030
अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा		1/2	
के कार्यालय में किया जा सकता है.		16/1/2	0.035
		<u>31/1</u>	
		1/2	0.040
क्र. 7073-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का		31/1/2	0.020
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित		<u>31/1</u>	
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन		1/1	0.039
के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक		31/2/2	0.018
एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित		32/2/1	0.014
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये		32/2/2	0.035
आवश्यकता है:—		32/2/4	0.035
		32/2/5	0.060
		40/4	0.030
		45/3	0.101
		296/45	0.036
		43	0.036
		44	0.072
		41/3	0.026
		31/2/1	0.020
		32/1	0.200
		15	0.042
		16/1/1	0.045
		45/2	0.013
		331/195	0.032
		195/10/2	0.020
		304/195/4	0.034
		304/195/2	0.039
		195/23	0.065
		330/191/1	0.020
		195/10/2	0.076
		279/195	0.051
		197/1/2	0.042
		197/2/1	0.042
		197/1/1	0.065
		195/5	0.039

अनुसूची

(1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) ग्राम—बगवाज, पाड़लीगुसाई, सीलखेड़ा

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—2.520 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम—बगवाज

483

0.050

484

0.014

395/3

0.013

459/115

0.017

459/114

0.017

459/1/2

0.020

459/1/1

0.012

459/1/3

0.017

योग . . 0.160

(1)	(2)	(1)	(2)
195/22	0.075	390/2/3	0.012
195/21	0.045	390/2/4	0.015
<u>195/12</u>	0.051	390/2/5	0.015
1/3		392/1	0.010
<u>195/12</u>	0.026	399/2/1	0.025
1/2		399/2/2	0.025
195/11	0.075	400/1	0.010
योग . .	<u>2.246</u>	464/3	0.010
		561/1	0.009
ग्राम—सीलखेड़ा		464/2/1	0.012
126/1/6	0.114	464/2/2/2	0.010
योग . .	<u>0.114</u>	464/1/2/2	0.011
कुल योग . .	<u>2.520</u>	463/1	0.025
		458/1	0.011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—		248	0.012
बगवाज, पाड़लीगुसाई, सीलखेड़ा, कड़ियाहाट मार्ग		229	0.006
निर्माण हेतु.		242	0.036
		246	0.010
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय		245	0.007
अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा		244	0.030
के कार्यालय में किया जा सकता है.		243	0.010
		254	0.025
		योग . .	<u>0.366</u>
क्र. 7077-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात		ग्राम—भिलवाड़िया	
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में		22	0.015
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक		23	0.005
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		460/2/1/1	0.005
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह		421/2	0.004
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये		91/2/1	0.010
आवश्यकता है:—		459/3	0.010
		459/2	0.012
अनुसूची		24/1	0.004
(1) भूमि सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि		24/2	0.006
(क) जिला—राजगढ़		458	0.006
(ख) तहसील—ब्यावरा		26/2	0.004
(ग) ग्राम—भाटखेड़ी, भिलवाड़िया		455/1	0.005
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.611 हेक्टेयर.		26/1	0.004
		26/3	0.004
खसरा नंबर	क्षेत्रफल	27/2	0.006
(1)	(2)	455/2/1	0.005
		455/2/2	0.008
ग्राम—भाटखेड़ी		28/1	0.006
390/2/1	0.018	28/2	0.005
390/2/2	0.012		

(1)	(2)	(ग) ग्राम—झरखेड़ा	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.903 हेक्टेयर.
28/3	0.006		
447/3/1	0.008		
447/3/2	0.003	खसरा नंबर	क्षेत्रफल
436/1	0.002		(हेक्टर में)
436/4	0.004	(1)	(2)
91/3	0.010	530/2	0.026
436/2	0.002	530/1	0.026
436/3	0.004	168/2	0.006
91/4	0.025	534	0.134
433/1/1	0.003	576/1	0.075
433/3	0.003	168/1	0.006
421/1	0.002	576/2	0.020
421/3	0.002	168/3	0.006
433/1/2	0.005	574/2	0.172
95/1	0.005	168/4	0.006
102/2	0.003	574/1	0.136
103/1	0.006	536/1	0.020
95/2	0.005	535/1	0.007
421/4	0.005	536/2	0.064
91/1	0.008	536/3	0.024
91/5	0.010	535/2	0.007
योग . .	0.245	619/1	0.068
कुल योग . .	0.611	169/1	0.020
		617/2	0.080
		योग . .	0.903

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
भाटखेड़ी से भिलवाड़िया मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
झरखेड़ा से पाड़ली महाराज मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7079-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा

क्र. 7081-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) ग्राम—भगोरा, मानकी, पीपल्याखेड़ी, बेलांस		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.000 हेक्टेयर.		481/282	0.069
खसरा नंबर	क्षेत्रफल	457/282	0.038
(1)	(हेक्टर में)	408/282/2	0.024
	(2)	282/7	0.024
		285	0.067
	ग्राम—भगोरा	286/2	0.029
58	0.040	294	0.110
59	0.035	293/2	0.036
52/1	0.108	422/282	0.069
50/1	0.063	505/282	0.033
48	0.068	530/272	0.057
46	0.048	531/272	0.084
45/1/2	0.045	486/272	0.012
52/2	0.046	487/272	0.054
45/1/1	0.035	490/282/2	0.015
52/3	0.046		योग . . . 1.372
30	0.023		ग्राम—पीपल्याखेड़ी
31/3	0.024	206	0.078
29	0.028	208	0.036
285	0.037	176/3	0.091
327/26/1	0.010	202/2/1	0.024
24	0.012		योग . . . 0.229
23/4	0.024		ग्राम—बेलांस
287/22	0.009	597	0.216
22	0.009	637/13	0.063
131	0.008	600	0.163
27/1	0.017	637/3	0.078
6/1	0.022	917/637	0.053
6/2	0.070		योग . . . 0.0573
	योग . . . 0.827		
	ग्राम—मानकी		
490/282/1	0.040		
488/272	0.054		
290	0.051		
293/3/1	0.081		
292/1	0.148		
289/2	0.100		
292/2	0.177		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
गिदोरहाट, भगोरा, मानकी, पीपल्याखेड़ी, बेलांस मार्ग
निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय
अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा एवं भू-अर्जन अधिकारी,
ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 25 अप्रैल 2011

क्र.1175-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र. . . . अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—गुणावद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.12 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
निजी भूमि	
160	0.50
167	0.15
289	0.10
757	0.10
764	0.40
827	0.28
988	0.09
989	0.02
1024	0.20
1025	0.14
1618/1	0.07
1619	0.07
योग . .	<u>2.12</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए आवश्यकता है—माही परियोजना की पीथापाड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.1178-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र. . . . अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में

उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—गुणावद (केलकुई)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.09 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
निजी भूमि	
922	0.07
923	0.04
924	0.04
925	0.17
927	0.10
932	0.35
933	0.30
1699	0.11
1700	0.03
1701	0.15
1703	0.27
1704	0.02
1770	0.10
1771	0.17
1775/1	0.17
योग . .	<u>2.09</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए आवश्यकता है—माही परियोजना की केलकुई माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.1180-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र. . . . अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद

(ग) ग्राम—करवड़		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.69 हेक्टर.			
सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
	निजी भूमि	1152	0.11
		1151	0.19
		1111	0.05
		1148	0.05
		1147	0.05
		1144	0.26
1442	0.18	1145	0.03
1450	0.18	1142	0.05
1468	0.33	1139	0.30
1487	0.33	1136	0.20
1490	0.07	1137	0.14
1489	0.24	1120	0.20
1495	0.28	1122	0.05
1496	0.24	1124/1	0.06
		1124/2	0.06
1500	0.05	1125	0.20
1502	0.02	1126	0.15
1503	0.10		योग . . . 14.69
1506	0.32		
1504	0.60		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए आवश्यकता है—माही
1791	0.40		परियोजना की करवड़ माईनर नहर निर्माण हेतु.
1792	0.10		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं
1775	0.40		भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा
1776/1	0.13		सकता है.
1776/2	0.22		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
1772	0.20		शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1771	0.27		
1608	0.20		
1611	0.16		कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं
1612	0.34		पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
1613	0.01		
1614	0.22		रायसेन, दिनांक 25 अप्रैल 2011
1765	0.06		क्र. 3592-10-11-प्र. क्र. 3-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन
1764	0.38		को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के
1763	0.20		पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित
1762	0.30		सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,
1758	0.11		1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा
1759/1	0.34		यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि निम्नानुसार प्रयोजन के लिये
1759/2	0.05		आवश्यक है:—
1735	0.30		
1736	0.13		
1737	0.04		अनुसूची
1734	0.05		(1) भूमि का वर्णन—
1154/2	0.18		(क) जिला—रायसेन
1153	0.12		(ख) तहसील—रायसेन
1150	0.03		

(ग) ग्राम—संग्रामपुर		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.193 हेक्टर.		114/2	0.090
खसरा नम्बर	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में)	116	0.018
			योग . . 0.108
(1)	(2)	118	0.036
		53	0.066
			योग . . 0.102
ग्राम—संग्रामपुर			
161/1	0.132	61/2/1	0.015
149	0.080	68/1	0.060
285	0.060	66/1	0.048
	योग . . 0.272	63/2	0.048
			योग . . 0.171
160	0.128		
122/5	0.160	65/2/2	0.015
	योग . . 0.288	68/2	0.018
			योग . . 0.033
164/2	0.280		
163/1/2	0.120	46	0.030
	योग . . 0.400	47	0.030
			योग . . 0.060
167	0.080		
163/2/1	0.228	142/2	0.096
	योग . . 0.308	127	0.036
			योग . . 0.132
166/1	0.048		
165/2	0.190	162/2	0.144
151/2/1	0.090	310	0.300
	योग . . 0.328		योग . . 0.444
122/4	0.040	311/3	0.705
148/2	0.080	311/1	0.160
	योग . . 0.120	161/318/1	0.280
		164/1	0.096
128	0.016	165/1	0.304
77/1	0.096	311/2	0.708
	योग . . 0.112	148/1	0.280
		121/1	0.200
129	0.124	142/1	0.204
131	0.112	126	0.080
139	0.168	312	0.203
	योग . . 0.404	313	0.927
		121/2	0.080
151/2/2	0.096	162/1	0.144
152/1	0.106	151/1	0.120
	योग . . 0.202	152/2	0.192
		152/3	0.090
		309	0.140

(1)	(2)	(1)	(2)
299	0.172		
269/1/10	0.060	36	0.120
269/1/9	0.064	30/1	0.030
269/1/8	0.100	30/2	0.120
269/1/7	0.020	31	0.350
271/1	0.024	32	0.240
270	0.220		कुल योग . . 2.532
289/1/1	0.064		
289/2	0.120		ग्राम—मिर्जापुर पाली
290/1	0.060	258	0.090
291	0.064	256	0.042
287	0.064		योग . . 0.132
163/2/2	0.020		
168/1	0.120	274	0.130
114/3	0.090	266/3	0.156
114/1	0.084	266/2	0.136
71	0.114	266/1	0.174
74/2	0.072	262	0.210
63/1	0.042	254/1	0.036
63/3	0.048	257	0.066
54	0.030	259	0.048
50	0.048		कुल योग . . 1.088
45/1	0.192		
36	0.348		ग्राम—मुरैल कलां
कुल योग . .	10.637		
	ग्राम—अंडोल	316	0.024
59/1	0.054	311	0.090
61/1	0.042	306	0.060
	योग . . 0.096		योग . . 0.174
52/2	0.240	315	0.360
64/1/1	0.120	310/2	0.018
	योग . . 0.360	310/1	0.108
185/2/1	0.018	298/2/2	0.096
185/1	0.150	298/3	0.180
184/3	0.072		कुल योग . . 0.936
183/1	0.168		महायोग . . 15.193
183/2/1	0.088		
183/2/2	0.088		
57/2/2	0.045		
57/3	0.042		
57/2/1	0.045		
58	0.120		
64/1/2	0.170		
37	0.210		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संग्रामपुर सिंचाई योजना तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 अप्रैल 2011

क्र. 599-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बघेलान

(ग) ग्राम—मगरवार कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.728 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

20

0.243

22

0.094

24

0.223

26

0.003

25

0.003

65

0.064

66

0.016

67

0.007

68

0.274

69

0.039

23

0.118

27

0.125

29

0.227

60

0.094

59

0.102

58

0.172

61

0.003

73

0.118

74

0.125

75

0.094

(1)

(2)

76

0.078

79

0.133

80

0.031

81

0.125

82

0.003

147

0.071

156

0.047

157

0.180

163

0.125

164

0.078

165

0.125

176

0.133

175

0.165

174

0.133

173

0.063

171

0.094

योग . . . 3.728

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 601-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बघेलान

(ग) नगर/ग्राम—देवरी वृत्त

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.401 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

271

0.031

272

0.043

(1)	(2)	(1)	(2)
485	0.021	172	0.019
270	0.049	173	0.031
484	0.021	174	0.102
275	0.004	175	0.063
276	0.063	176	0.055
281	0.047	179	0.003
282	0.077	436	0.016
289	0.071	435	0.060
304	0.188	437	0.039
299	0.086	438	0.110
301	0.095	431	0.408
300	0.016	465	0.024
327	0.016	477	0.024
328	0.039	428	0.188
331	0.086	427	0.047
333	0.095	479	0.001
335	0.016	480	0.007
336	0.006	481	0.039
337	0.063		<u>0.039</u>
338	0.006		योग . . . <u>3.401</u>
339	0.006		
340	0.055		
343	0.133	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
342	0.016	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
208	0.044		
355	0.016		
354	0.016		
356	0.016		
357	0.006		
199	0.078		रीवा, दिनांक 26 अप्रैल 2011
198	0.086		
196	0.016		क्र. 603-भू-अर्जन-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
192	0.125		
193	0.016		
195	0.071		
194	0.009		
128	0.102		
187	0.023		
188	0.012		
183	0.009		अनुसूची
184	0.086		
186	0.006	(1)	भूमि का वर्णन—
182	0.078		(क) जिला—रीवा
171	0.001		(ख) तहसील—सिरमौर

- (ग) ग्राम—कठेरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.070 हेक्टर.

पुनरीक्षित प्रकाशन

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
425	0.034
429	0.036
योग . .	<u>0.070</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 605-प्रशा.-भू-अर्जन-2006-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर/मनगंवा
(ग) ग्राम—देवरा-66
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.486 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
550/1	0.280
550/2	0.206
योग . .	<u>0.486</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के अन्तर्गत में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 607-भू-अर्जन-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—रौरा पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.082 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
187	0.082
योग . .	<u>0.082</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 609-भू-अर्जन-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर

		(1)	(2)
(ग) ग्राम—रौरा कोठार			
(घ) लगभग क्षेत्रफल—अर्जित रकबा 0.023 हेक्टर.		183	0.054
खसरा नंबर	रकबा	184	0.018
	(हेक्टर में)	284	0.020
(1)	(2)	285	0.020
908	0.023	286	0.051
योग . .	<u>0.023</u>	289	0.062
		291	0.056
		292	0.100
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.		296	0.079
		298	0.266
		300	0.010
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		311	0.038
		313	0.121
		314	0.055
		315	0.075
		316	0.118
क्र. 611-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		1301	0.040
		1302	0.130
		1310	0.110
		1322	0.012
		1323	0.072
		1324	0.011
		1325	0.087
		1357	0.127
(1) भूमि का वर्णन—		1356	0.015
(क) जिला—रीवा		1370	0.207
(ख) तहसील—सिरमौर		1371	0.008
(ग) ग्राम—पड़री पवाई		1374	0.110
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.409 हेक्टर.		1388	0.099
		1389	0.091
खसरा नंबर	अर्जित रकबा	1390	0.009
	(हेक्टेयर में)	1391	0.016
(1)	(2)	1392	0.022
150	0.444	1393	0.096
151	0.318	1403	0.105
152	0.194	1404	0.050
154	0.156	1406	0.014
155	0.084	1408	0.131
165	0.244	1407	0.032
166	0.103	1431/1	0.015
167	0.019	1438	0.097
172	0.049	1439	0.004
173	0.129	1480	0.041
182	0.232	1481	0.038

(1)	(2)	(1)	(2)
1482	0.061	2116	0.435
1483	0.057	2215	0.096
1484	0.017	योग . .	<u>9.166</u>
1485	0.048		
1494	0.172	शासकीय भूमि	
1495	0.010	295	0.030
1496	0.118	312	0.025
1497	0.070	1619	0.013
1499	0.030	1643	0.115
1500	0.050	1742	0.040
1501	0.048	1862	0.020
1502	0.070	योग . .	<u>0.243</u>
1649	0.004	कुल योग . .	<u>9.409</u>
1651	0.200		
1652	0.104	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर	
1654	0.108	परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत	
1656	0.028	मरैला माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/	
1657	0.112	शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	
1661	0.216		
1691	0.007	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन	
1692	0.046	एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1693	0.010		
1694	0.098	क्र. 613-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान	
1695	0.099	हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि	
1738	0.081	की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन	
1739	0.032	के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक	
1759	0.025	एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित	
1760	0.010	किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन	
1761	0.159	हेतु आवश्यकता है:—	
1764	0.004		
1769	0.080		
1770	0.015		
1774	0.115		
1857	0.137	(1) भूमि का वर्णन—	
1858	0.326	(क) जिला—रीवा	
1859	0.024	(ख) तहसील—सिरमौर	
2095	0.130	(ग) ग्राम—सेमरा-557	
2096	0.140	(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.569 हेक्टर.	
2102	0.002	खसरा नंबर	अर्जित रकबा
2103	0.090		(हेक्टेयर में)
2104	0.190	(1)	(2)
2110	0.238	158	0.014
2115	0.114	197	0.028

(1)	(2)	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
198	0.064		
199	0.022		
200	0.129		
201	0.080	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
202	0.144		
203	0.096		
204	0.134		
212	0.099		
213	0.230		
490	0.035		
493	0.256		
494	0.035		
495	0.128		
496	0.145		
503	0.002		
505	0.120		
506	0.160		
507	0.104		
508	0.176		
509	0.176		
516	0.121		
517	0.086		
519	0.116		
520	0.049		
523	0.050		
524	0.056		
648	0.324		
671	0.896		
690	0.064		
691	0.036		
692	0.0180		
693	0.0120		
694	0.095		
700	0.013		
702	0.320		
703	0.038		
705	0.040		
707	0.144		
722	0.216		
723	0.016		
724	0.176		
726	0.036		
	कुल योग . .		
	<u>5.569</u>		
		क्र. 615-भू-अर्जन.—	चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
			अनुसूची
		(1)	भूमि का वर्णन—
		(क)	जिला—रीवा
		(ख)	तहसील—सिरमौर
		(ग)	नगर/ग्राम—मुड़ियारी
		(घ)	लगभग क्षेत्रफल—3.466 हेक्टर.
		खसरा नंबर	अर्जित रकबा
			(हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
		273	0.253
		300	0.009
		301	0.091
		305	0.137
		306	0.016
		309	0.150
		310	0.053
		315	0.070
		316	0.184
		319	0.070
		320	0.064
		321	0.070
		324	0.070
		325	0.161
		326	0.177
		330	0.038
		331	0.064
		332	0.096
		402	0.010
		403	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
404	0.008	191	0.158
405	0.104	192	0.118
411	0.029	193	0.108
412	0.179	194	0.108
414	0.096	195	0.202
415	0.126	209	0.162
418	0.200	210	0.084
419	0.158	211	0.100
471	0.036	292	0.036
472	0.149	293	0.050
473	0.008	294	0.061
474	0.180	295	0.068
478	0.008	296	0.288
479	0.201	297	0.019
502	0.158	298	0.020
505	0.003	299	0.082
	योग . . .	330	0.070
		333	0.079
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्यौंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका, की मुडियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.		334	0.058
		335	0.097
		336	0.288
		337	0.014
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		339	0.008
		340	0.007
		352	0.122
क्र. 617-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		358	0.136
		359	0.036
		360	0.129
		361	0.050
		369	0.014
		381	0.216
		योग . . .	3.333

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—लभौली (585)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.403 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
189	0.187
190	0.158

मध्यप्रदेश शासन

331	0.070
महायोग . . .	3.403

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के क्यौंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका, की मुडियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 619-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—पड़री पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.318 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
162	0.326	652	0.064
163	0.022	659	0.004
173	0.130	662	0.042
438	0.225	663	0.068
439	0.075	664	0.006
440	0.030	666	0.051
466	0.018	674	0.090
467	0.057	681	0.075
469	0.090	684	0.210
470	0.069	685	0.024
471	0.045	746	0.132
472	0.090	747	0.048
476	0.195	748	0.033
492	0.084	749	0.018
495	0.120	751	0.013
496	0.120	752	0.090
499	0.045	754	0.105
500	0.030	767	0.098
501	0.015	768	0.039
504	0.105	769	0.014
505	0.180	770	0.153
551	0.162	799	0.008
554	0.036	800	0.017
555	0.034	801	0.202
649	0.065	803	0.060
650	0.062	804	0.014
651	0.052	810	0.088
		918	0.062
		919	0.009
		920	0.101
		922	0.057
		923	0.029
		924	0.042
		928	0.138
		929	0.015
		930	0.015
		931	0.003
		932	0.060
		936	0.252
		942	0.084
		944	0.012
		948	0.198
		1044	0.018
		1045	0.030

(1)	(2)	खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
1046	0.052		
1062	0.047		
1063	0.020	13	0.103
1066	0.027	14	0.006
1069	0.170	15	0.194
1437	0.037	16	0.130
1439	0.093	17	0.070
1440	0.024	18	0.486
1441	0.033	21	0.040
1442	0.090	22	0.109
1443	0.010	23	0.304
1445	0.015	24	0.045
1447	0.045	25	0.300
1448	0.030	26	0.030
1449	0.014	27	0.024
1463	0.082	141	0.085
1464	0.017		योग . . . 1.926
1465	0.029		
1461	0.110		
	योग . . . 6.318		

मध्यप्रदेश शासन

0 0
महायोग . . . 1.926

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत मरैला कोठार माइनर की सब-माइनर नं. 1 एवं 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्यौंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका, की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 621-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—सगोना कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.926 हेक्टेयर.

क्र. 623-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—खैर-111
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.317 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
513	0.020
515	0.070
516	0.070
517	0.066
519	0.020
522	0.161
523	0.024
524	0.074
525	0.006
910	0.078
912	0.130
913	0.040
914	0.033
915	0.151
916	0.100
917	0.056
918	0.020
925	0.006
926	0.012
930	0.021
931	0.120
932	0.021
935	0.139
936	0.136
941	0.044
942	0.180
943	0.076
951	0.067
952	0.114
958	0.050
959	0.212
योग . .	2.317
मध्यप्रदेश शासन	
निल	निल
महायोग . .	2.317

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्यौंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 625-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—सपहा कोठार 530
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.103 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.08
2	0.08
3	0.056
31	0.009
58	0.008
59	0.038
60	0.078
61	0.056
62	0.048
63	0.068
67	0.072
68	0.056
79	0.016
80	0.328
81	0.041
82	0.042
83	0.027
योग . .	1.103
मध्यप्रदेश शासन	
निल	निल
महायोग . .	1.103

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्यौंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 627-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—कररिया 55
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.459 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
674	0.125
676	0.017
677	0.094
678	0.072
679	0.014
687	0.066
688	0.146
690	0.04
692	0.096
694	0.113
695	0.112
696	0.046
835	0.004
836	0.039
837	0.296
838	0.056
870	0.064
योग . . . 1.400	
शासकीय— मध्यप्रदेश शासन	
689	0.019
693	0.040
महायोग . . . 1.459	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 629-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—बेलवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.488 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
278	0.032
279	0.038
280	0.013
281	0.077
282	0.046
283	0.056
285	0.034
295	0.139
296	0.057
297	0.048
300	0.125
301	0.056
304	0.015
306	0.060
307	0.052
308	0.035
309	0.064
310	0.012
311	0.088
321	0.032
337	0.064
338	0.344
339	0.036
390	0.013

(1)	(2)	क्र. 641-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—																																																													
391	0.022	<p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला—रीवा</p> <p>(ख) तहसील—सिरमौर</p> <p>(ग) ग्राम—फरहत कोटार</p> <p>(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.246 हेक्टेयर.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">खसरा नंबर</th> <th style="width: 25%;">अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>59</td><td>0.101</td></tr> <tr><td></td><td>60</td><td>0.089</td></tr> <tr><td></td><td>61</td><td>0.097</td></tr> <tr><td></td><td>74</td><td>0.025</td></tr> <tr><td></td><td>76</td><td>0.093</td></tr> <tr><td></td><td>78</td><td>0.142</td></tr> <tr><td></td><td>79</td><td>0.162</td></tr> <tr><td></td><td>103</td><td>0.109</td></tr> <tr><td></td><td>104</td><td>0.202</td></tr> <tr><td></td><td>135</td><td>0.299</td></tr> <tr><td></td><td>141</td><td>0.005</td></tr> <tr><td></td><td>142</td><td>0.246</td></tr> <tr><td></td><td>143</td><td>0.194</td></tr> <tr><td></td><td>144</td><td>0.169</td></tr> <tr><td></td><td>145</td><td>0.092</td></tr> <tr><td></td><td>155</td><td>0.101</td></tr> <tr><td></td><td>329</td><td>0.120</td></tr> <tr> <td></td> <td>योग . .</td> <td>2.246</td> </tr> </tbody> </table>			खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		(1)	(2)		59	0.101		60	0.089		61	0.097		74	0.025		76	0.093		78	0.142		79	0.162		103	0.109		104	0.202		135	0.299		141	0.005		142	0.246		143	0.194		144	0.169		145	0.092		155	0.101		329	0.120		योग . .	2.246
	खसरा नंबर			अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)																																																											
	(1)			(2)																																																											
	59			0.101																																																											
	60			0.089																																																											
	61			0.097																																																											
	74			0.025																																																											
	76			0.093																																																											
	78			0.142																																																											
	79			0.162																																																											
	103			0.109																																																											
	104			0.202																																																											
	135			0.299																																																											
	141			0.005																																																											
	142			0.246																																																											
	143	0.194																																																													
	144	0.169																																																													
	145	0.092																																																													
	155	0.101																																																													
	329	0.120																																																													
	योग . .	2.246																																																													
392	0.029																																																														
393	0.032																																																														
396	0.016																																																														
412	0.144																																																														
414	0.064																																																														
415	0.010																																																														
416	0.045																																																														
449	0.383																																																														
458	0.160																																																														
459	0.148																																																														
460	0.025																																																														
470	0.219																																																														
471	0.010																																																														
524	0.034																																																														
526	0.200																																																														
529	0.147																																																														
530	0.051																																																														
533	0.261																																																														
534	0.132																																																														
536	0.048																																																														
537	0.182																																																														
538	0.129																																																														
539	0.005																																																														
540	0.056																																																														
874	0.332																																																														
875	0.048																																																														
	योग . .	4.468																																																													
	शासकीय																																																														
288	0.020																																																														
	महायोग . .	4.488																																																													

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्यौंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 643-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—रिमारी कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.588 हेक्टेयर

खसरा नंबर

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

434 0.347

435 0.150

436 0.150

437 0.320

449 0.202

450 0.230

489 0.303

547 0.194

550 0.004

551 0.012

552 0.042

553 0.042

554 0.049

555 0.049

556 0.016

559 0.140

560 0.320

583 0.048

586 0.041

587 0.028

588 0.061

589 0.072

594 0.021

(1)

(2)

595

0.114

596

0.445

702

0.320

703

0.036

704

0.058

715

0.240

717

0.248

718

0.048

719

0.408

720

0.024

722

0.020

723

0.050

724

0.208

738

0.032

739

0.101

740

0.120

741

0.101

742

0.072

743

0.140

746

0.088

747

0.120

748

0.081

749

0.072

750

0.081

816

0.008

820

0.016

821

0.088

822

0.160

823

0.088

824

0.160

योग . . . 6.588

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 645-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	190	0.120
	216	0.049
	220	0.097
	222	0.057
	223	0.048

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—पथरी पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.823 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
3	0.280	521	0.032
4	0.113	522	0.021
5	0.016	528	0.323
64	0.445	529	0.161
65	0.121	530	0.004
66	0.210	585	0.242
67	0.025	586	0.057
68	0.170	595	0.057
120	0.242	596	0.081
122	0.028	598	0.089
123	0.028	599	0.032
124	0.121	600	0.004
125	0.069	601	0.218
186	0.020	612	0.242
187	0.072		
188	0.097		
189	0.097		
		योग . .	<u>4.823</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 647-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—नकटा पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.971 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
43	0.081
45	0.242
48	0.121
53	0.057
54	0.073
55	0.004
56	0.057
57	0.028
58	0.093
116	0.061
117	0.065
118	0.089
योग . .	0.971

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र.-भू-अर्जन-34(अ-82)2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—तरेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.90 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
30	0.27
31	0.50
32	0.78
34	0.47
35/2	0.60
35/3	0.54
35/4	0.90
35/5	0.42
35/6	0.20
35/7	0.02
35/8	0.07
35/9	0.07
35/10	0.02
35/11	0.04
योग . .	4.90

शासकीय भूमि

- 33 नाला 0.52
- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बार्डर चैक पोस्ट निर्माण ग्राम तरेरा, ग्रा.पंचा. रामनगर, वि.ख. करंजिया के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 2 मई 2011

प्र. क्र. 73-भू.अ.अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) से उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम बन्दोबस्त प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	बरही	बुजबुजा न.बं. 288 प.ह.नं. 08	237.22	असिस्टेंट वाइस प्रसिडेन्ट वेल्सपन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड	थर्मल पावर प्रोजेक्ट
			योग . .		
			237.22		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, विजयराघवगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 74-भू.अ.अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) से उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम बन्दोबस्त प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	डोकरिया न.बं. 286 प.ह.नं. 30	249.40	असिस्टेंट वाइस प्रसिडेन्ट वेल्सपन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड	थर्मल पावर प्रोजेक्ट
			योग . .		
			249.40		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, विजयराघवगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.